

लगभग 06 लाख रु० के 32 खोये हुए मोबाइल फोन को सर्विलांस के माध्यम से बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किये गये।

एक मोबाइल किसी के लिए बहुत कुछ और किसी के लिए सब कुछ हो सकता है, इसी उद्देश्य के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदवासियों के गुम / खोये हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक कैम्प कार्यालय अवस्थित सर्विलांस शाखा प्रभारी उ०नि० राहुल परमार के नेतृत्व में निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस सर्विलांस शाखा द्वारा 32 अदद मोबाइल फोन जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 6,00,000/-रूपये (छः लाख रुपये /-)

है, की बरामदगी की गई, बरामद मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को बुलाकर आज दिनांक 18.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय की मौजूदगी में सुपुर्द कर जनपदवासियों को उपहार दिया गया, अपने खोये हुए मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और महोबा पुलिस/सर्विलांस सेल द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुये सहृदय धन्यवाद दिया।



मोबाइल स्वामियों का विवरण-

- 1.रमाकान्त पुत्र धनीराम नि० बिलरही श्रीनगर
- 2.मूलचन्द्र विश्वकर्मा पुत्र कल्लू नि० भटीपुरा महोबा
- 3.देवेन्द्र कुमार पुत्र रामसनेही नि० राजगंज पनवाड़ी महोबा
4. करुणेश कुमार चीफ फार्मा० सी०एम०ओ० आफिस महोबा
- 5.जनक देवी अरुणोदय संस्थान कार्यकर्त्री मझलवारा
- 6.मधू प्रजापति पुत्री सुरेश नि० गांधीनगर महोबा
- 7.सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल नि० बिलवई महोबा
- 8.नरेन्द्र गोयल नि० मलकपुरा महोबा
- 9.रीतेश सैनी पुत्र रमेश चन्द्र नि० उरई जालौन
- 10.राजेश निवासी पिपरामाफ श्रीनगर
- 11.तुलसीदास पुत्र छिदिया नि० सूपा महोबा
- 12.सिद्धार्थ द्विवेदी पुत्र ओम नमः शिवाय नि० दुबियाना महोबा
- 13.देवेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीप्रसाद नि० पहरेथा चरखारी
- 14.राहुल अहिरवार पुत्र रामदास नि० ज्योरैया महोबा
- 15.अरविन्द कुमार पुत्र सन्तोष नि० बरीपाल सजेती कानपुर
- 16.सुरेश सोनी पुत्र काशीप्रसाद नि० सुभाषनगर महोबा
- 17.विकास पुत्र विष्णू नि०

शेखनपुरा महोबा 18.जाफर तारिक पुत्र तारिक अहमद नि0 समदनगर महोबा 19.पुष्पेन्द्र पुत्र हरीसिंह नि0 नेकपुरा पनवाड़ी महोबा 20.नितीश गुप्ता नि0 गांधीनगर महोबा 21.सुनील कुमार नि0 बांदा 22.पप्पू नि0 महोबा 23.रामकृपाल नि0 महोबा 24.शुभ्रान्त शेखर पुत्र जयप्रकाश नि0 आफीसर कालोनी महोबा 25.सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामकृपाल नि0 पनवाड़ी महोबा 26.सन्तराम पुत्र झुमुकलाल नि0 मोचीपुरा कबरई महोबा 27.जुगल किशोर पुत्र राजबहादुर नि0 रायकोट महोबा 28.कल्ला सेन पुत्र प्रभू नि0 नथूपुरा महोबा 29.कुलदीप दीक्षित पुत्र अरविन्द नि0 श्रीनगर महोबा 30.अरविन्द पुत्र काशीराम अहिरवार नि0 कुल्लार्ह पहाड़िया महोबा 31.मोहन लाल पुत्र छेदालाल नि0 भटीपुरा महोबा 32.उत्सव शिवहरे पुत्र जयकिशोर शिवहरे नि0 राजेन्द्र नगर कबरई



खोये मोबाइल बरामद करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 राहुल परमार प्रभारी सर्विलांस/साइबर सेल महोबा
2. कां0 अंशुल दुवे सर्विलांस सेल महोबा
3. कां0 दीपक वर्मा सर्विलांस सेल महोबा
4. कां0 सत्यम सिंह जादौन साइबर सेल महोबा
5. कां0 सुरजीत कुमार साइबर सेल महोबा
6. कां0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह साइबर सेल महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व/निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 18.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात हर्षिता गंगवार मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।



एण्टीरोमियो स्ववाड द्वारा छात्राओं/ महिलाओं को महिला सुरक्षा के बारे में किया गया जागरूक !!

उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के दृष्टिगत चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपदवार गठित किए गए महिला सुरक्षा विशेष दल के क्रम में आज दिनांक 18.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर गठित एण्टीरोमियो दल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों एवं ग्रामों में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया।

जिसमें मिशनशक्ति के तहत एण्टीरोमियो दल ने बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को पुलिस द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर- वूमेन पावर लाइन-1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, महिला सहायता- 181, यूपी 112 साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उक्त नंबर या तत्काल थाना पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने चोरी की योजना बना रहे 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा/कारतूस सहित चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण किये बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 18.01.2023 को थाना कुलपहाड़ श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ.नि. विनोद कुमार सिंह द्वारा गुमटी के पीछे पीडब्लूडी की टूटी हुई बाउण्ड्री के पास से 03 नफर अभियुक्तगण को चोरी की योजना बनाते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर, 01 अदद लोहे का सब्बल, 01 अदद लोहे का हथौडा, 01 अदद पेचकश, 01 अदद पिलास, 01 अदद राड लोहे की, 01 अदद छेनी, बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 26/2023 धारा 401 भा.द.वि. व मु0अ0सं0 27/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सन्दीप अहिरवार पुत्र चन्द्रकिशोर उर्फ चन्दू अहिरवार उम्र करीब 21 वर्ष नि.मु. खकरीपुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा तथा मु0अ0सं0 28/2023 धारा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अजय श्रीवास पुत्र कालीचरन श्रीवास उम्र करीब 24 वर्ष नि. ग्राम. पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभि0 उपरोक्त को गिरफ्तार कर मान0 न्याय0 के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि. विनोद कुमार सिंह
2. हे0का0 उदयभान
3. हे0का0 मुकेश कुमार
4. का0 सुमित कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेन्द्र अहिरवार पुत्र रामेश्वर अहिरवार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी मु. खकरीपुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
2. अजय श्रीवास पुत्र कालीचरन श्रीवास उम्र करीब 24 वर्ष नि. ग्राम. पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा हाल पता मु. खकरीपुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
3. सन्दीप अहिरवार पुत्र चन्द्रकिशोर उर्फ चन्दू अहिरवार उम्र करीब 21 वर्ष नि.मु. खकरीपुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 'पुलिस कंट्रोल रूम, डायल-112 एवं फायर स्टेशन महोबा' का किया गया वार्षिक निरीक्षण।

आज दिनांक 18.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम, डायल-112 एवं फायर स्टेशन महोबा का वार्षिक निरीक्षण किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम निरीक्षण के दौरान कार्यालय के विभिन्न रजिस्ट्रों, अभिलेखों के रखरखाव, लोकेशन रजिस्टर व डेली रजिस्टर आदि का अवलोकन करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, साथ ही साफ-सफाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निर्देशों की समीक्षा करते हुये साफ-सफाई का अवलोकन किया गया जिसके क्रम में परिसर में रखे हुये उपकरण को स्वयं की देखरेख में तरतीबवार रखवाया गया एवं परिसर में स्वच्छता बनाये रखने के निर्देश दिये गये।

डायल-112 का निरीक्षण कर ROIP प्रणाली के माध्यम से पीआरवी वाहनों की वर्तमान स्थिति को देखा गया तथा इवेंट क्लोजर प्रणाली के माध्यम से अपूर्ण इवेंटों की समीक्षा की गयी जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित को थानों से वार्ता कर त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपदीय फायर स्टेशन महोबा का निरीक्षण किया गया जिसके क्रम में विभिन्न रजिस्ट्रों, अभिलेखों के रखरखाव का अवलोकर कर सभी अभिलेखों को अद्यावधिक किये जाने के निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय सुश्री हर्षिता गंगवार मौजूद रहीं।



महोबा पुलिस